न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– राजेश वर्मा (आर0ए0एस0)
अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर

अपील नम्बर 25/2018

(आर सी एम एस नम्बरः– 2018/00029)

उनवान प्रकरण

सोमसिंह उम्र करीब 46 वर्ष पुत्र श्री छुटटन उर्फ छोटा जाति धोबी निवासी ग्राम टांडां तहसील व जिला धौलपुर राज0 ....अपीलान्ट

बनाम

1–राजस्थान सरकार तामील जरिये नायव तहसीलदार मंनिया जिला धौलपुर
2–मुस0 हरभेजी पत्नी स्व0 श्री छुटटन उर्फ छोटा । जाति धोवी निवासी ग्राम
3–रामबृज पुत्र स्व0 श्री छुटटन उर्फ छोटा । टांडां तह0 व जिला धौलपुर
4–मुस0 मछला पुत्री स्व0 श्री छुटटन उर्फ छोटा पत्नी श्री कालीचरन
5–मुस0 सरोज पुत्री स्व0 श्री छुटटन उर्फ छोटा पत्नी श्री राजेन्द्र
जातिगण धोवी निवासी ग्राम हाल रांडौली तहसील व जिला धौलपुर
6–मुस0 गुडिया पुत्री स्व0 श्री छुटटन उर्फ छोटा पत्नी श्री अशोक जाति धोवी
निवासी हाल लुधपाडा पुराना शहर धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर

................रेस्पोडेण्टस

अपील विरूद्व नामान्तरकरण सं0 477 आदेश
दिनांक 04.10.2001 बांके ग्राम टांडां द्वारा
नायव तहसीलदार मंनिया जिला धौलपुर

उपस्थिति अभिभाषक :–

अपीलान्ट की ओर से :– श्री अशोक दिवाकर एडवोकेट
रेस्पो0सं0 1 की ओर से :–श्री गोपालनारायण शर्मा राजकीय अभिभाषक
रेस्पो0सं0 2लगा06 की ओर से :– श्री लक्ष्मीनारायन बघेल एडवोकेट

निर्णय

दिनांक : 16.01.2019

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा इन तथ्यों के साथ पेश की गई है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या–2 के पति व रैस्पोडेन्ट संख्या 3 लगा06 के पिता स्व0 छुटटन उर्फ छोटा का निधन लगभग 20 वर्ष पूर्व हो चुका है और स्व0 श्री छुटटन उर्फ छोटा ने अपने निधन के समय अपील छोडी गई आराजी खसरा नम्बर 386, 387, 388, 425, 803/569 बांके ग्राम टांडां तहसील व जिला धौलपुर में वहिस्सा रूप से 1/15 भाग

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

के खातेदार काश्तकार थे जब अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पति व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगा0 6 के पिता स्व0 श्री छुटटन उर्फ छोटा का निधन के बाद अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या–2 लगा06 के पक्ष में विरासतन का नामान्तकरण संख्या 477 दिनांक 4.10.2001 को रेस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा प्रशासन गांव के संग 2001–02 तस्दीक किया गया तब रेस्पोडेन्ट संख्या–1 नायव तहसीलदार मंनिया ने अपीलान्ट के सही नाम सोमसिंह के बजाय अपीलान्ट के उपनाम सुरेश जिसे की गांव में बुलाते है के नाम से तस्दीक कर दिया जिसे अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ने अपीलान्ट के गलत नाम से तस्दीक किये गये बिरासतन के नामान्तकरण संख्या–477 में सही नाम सोमसिंह के नाम से नामान्तकरण करने का निदेवन किया तो रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ने अपीलान्ट के सही नाम सोमसिंह के नाम से नामान्तकरण तस्दीक करने से साफ इन्कार कर दिया जिससे असन्तुष्ठ होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारों पर प्रस्तुत की है कि नायव तहसीलदार मंनिया ने अपीलान्ट के सही नाम सोमसिहं के नाम की जॉच किये बिना केवल मात्र गांव के व्यक्तियों द्वारा बताये अनुसार व अपीलान्ट से जानकारी किये बिना अपीलान्ट के उपनाम सुरेश के नाम से अपीलाधीन नामान्तकरण तस्दीक कर अपीलान्ट को सुनबाई का अवसर प्रदान किये बिना एवं अपीलान्ट को सुने बिना अपीलान्ट की बैक पर समस्त कार्यवाही कर कानूनी भूल की है। अपीलाधीन नामान्तकरण पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के बिपरीत होने से स्वतः ही निरस्त किये जाने योग्य है। उक्त अपील को पेश करने में कोई देरी हुई वह केवल मात्र उक्त नामान्तकरण संख्या 477 की जानकारी नहीं होने के कारण हुई है देरी को क्षमा करने के लिये प्रथक से धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है। अतः अपीलान्ट ने अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 477 निरस्त किया जाकर अपीलान्ट के सही नाम नाम सोमसिंह के नाम से नामान्तकरण तस्दीक किये जाने की प्रार्थना की है।

अपीलान्ट ने अपील के समर्थन में दस्जावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी सम्बत 2073 से 2076 ग्राम टांडा, नकल नामान्तकरण संख्या 477 दिनांक 4. 10.2001, फोटोप्रति राशन कार्ड सोमसिंह, फोटोप्रति पहिचान कार्ड सोमसिंह, फोटोप्रति आधार कार्ड पेश किये है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट को तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुये। रेस्पोडेन्ट संख्या–2 लगा06 की ओर से लक्ष्मीनारायन बधेल एडवोकेट ने बकालतनामा पेश किया। पत्रावली वहस हेतु नियत की गई।

बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अधोपान्त अवलोकन किया। अपीलान्ट का कथन है कि अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पति व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 लगा0 6 के पिता स्व0 श्री छुटटन उर्फ छोटा का निधन के बाद अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या–2 लगा06 के पक्ष में विरासतन का नामान्तकरण संख्या 477 दिनांक 4.10.2001 को रेस्पोडेन्ट संख्या–1 द्वारा प्रशासन गांव

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

Scanned by CamScanner

के संग 2001–02 तस्दीक किया गया तब रेस्पोडेन्ट संख्या–1 नायव तहसीलदार मंनिया ने अपीलान्ट के सही नाम सोमसिंह के बजाय अपीलान्ट के उपनाम सुरेश जिसे की गांव में बुलाते है के नाम से तस्दीक कर दिया जिसे अपीलान्ट ने रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ने अपीलान्ट के गलत नाम से तस्दीक किये गये बिरासतन के नामान्तकरण संख्या–477 में सही नाम सोमसिंह के नाम से नामान्तकरण करने का निदेवन किया तो रेस्पोडेन्ट संख्या–1 ने अपीलान्ट के सही नाम सोमसिंह के नाम से नामान्तकरण तस्दीक करने से साफ इन्कार कर दिया

हमने पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। अपीलान्ट ने अपने कथनों के समर्थन में परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं आधार कार्ड की फोटोप्रति पेश की है जिसमें अपीलान्ट का नाम सोमसिंह अंकित है। सुरेश व सोमसिंह एक ही व्यक्ति है यह जॉच पडताल का बिन्दु है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार योग्य है तथा नायव तहसीलदार मंनिया को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

अतः आदेश है कि अपील, अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का नामान्तकरण संख्या 477 दिनांक 04.10.2001 ग्राम टांडा तहसील धौलपुर निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण नायव तहसीलदार मंनिया को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलान्ट के नाम की जॉच कर अपीलान्ट को सुनकर पुनः नियमानुसार निर्णय पारित करें। पत्रावली फैसल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावे। निर्णय की प्रति नायव तहसीलदार मंनिया को भिजवाई जावे। वाद तकमील पत्रावली दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 16.01.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेश वर्मा)
अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर

अति0 जिला कलक्टर
धौलपुर